न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 589 सन 2018
अनवान :–

1. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर। **वादी**

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र दुलाराम जाति जाअ निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सज्जन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. गुडडी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. गुडडी 6 मीरा पुत्रीया मनीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर। **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 31.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 7/8 की कुल 2.2770हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 9/9 की कुल 43 किता की 10.3706हैक में से 333–1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम से दर्ज थी जो पूर्व में वादी के दादा दुलाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र ओमप्रकाश के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा दुलाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 1 जो वादी का पिता है ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 7/8 की कुल 2.2770हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 2 केएनएन के 9/9 की कुल 10.3706हैक भूमि में से 333–1/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official